रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन कमांक : OA-IIu/BPL/02/2023
दावा पंजीकरण तिथि : 03-01-2023
आदेशार्थ रखने की तिथि : 04th July, 2024
आदेश तिथि : 09th July, 2024

1) जयदेव बारापात्रे आत्मज स्व0 श्री काशीराम बारापात्रे,
2) श्रीमती ललिता बारापात्रे पत्नी श्री जयदेव बारापात्रे,
निवासी–शिव नगर, ढाबा रोड, वार्ड नंबर–04,
राजनांदगांव (छ0ग0) .....आवेदक

विरूध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ0ग0) .....रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री मोह0वसीम खान, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री इन्द्रजीत सिंह राजपूत, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता.

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने अविवाहित पुत्र मृतक *मुकेश बारापात्रे आत्मज श्री जयदेव बारापात्रे* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, 1987 के सेक्शन–16 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये 8 *लाख* प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि 30 वर्षीय मृतक प्रायवेट नौकरी करता था एवं दिनांक 25-11-2021 को गोंदिया राजनांदगांव तक की यात्रा हेतु अपने जीजा के साथ स्टेशन आकर उनके समक्ष यात्रा टिकट खरीदकर ट्रेन संख्या–28820 डाउन गोंदिया–झारसुगड़ा जेडी पैसेन्जर में यात्रा कर रहा था कि बाकल–राजनांदगांव के बीच बीएनसी मिल के पास रामनगर में अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन चलती गाड़ी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस की मदद से जिला शासकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहॉ पर उपचार के दौरान उसकी घटना दिनांक को ही मृत्यु हो गई. घटना के कारण मृतक के किसी सामान/लगेज आदि की कोई हानि नहीं हुई है, किन्तु यात्रा का टिकट गुम हो जाने का अभिवचन आवेदकों की ओर से अपने दावा आवेदन में किया गया है. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट में अविवाहित पुत्र की मृत्यु हो जाने से माता–पिता के तौर आवेदक ही आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

2. रेस्पाडेन्ट ने वैधानिक तरीके से की गई अपनी जॉच रिपोर्ट जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अपने जवाबदावे में दावे का पूरजोर विरोध करते हुए

निरंतर.....2/पर

कहा है कि घटना का कोई भी साक्षी नहीं है, जेडी पैसेन्जर के चालक एवं परिचालक तथा दावा आवेदन में उल्लेखित तथाकथित घटनास्थल व समय पर कार्यरत् ट्रेकमेन के कथनों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वहाँ पर उस समय ऐसी कोई अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की घटना नहीं हुई है, घटना का कोई अन्य कारण होकर इसे मुआवजा प्राप्त करने के लिए रेल दुर्घटना से जोड़ो जाने का प्रयास किया जा रहा है. मृतक बोनाफाइड पैसेन्जर होने के सम्बन्ध में भी कोई टिकट या अन्य प्रमाण नहीं पाया गया है व जॉच रिपोर्ट के अनुसार मृतक न तो तत्समय जेडी पैसेन्जर से यात्रा कर रहा था एवं न ही वह बोनाफाइड पैसेन्जर था, घटना का कोई भी साक्षी नहीं है एवं पूरी जॉच के दौरान यह कहीं पर भी तथ्य सामने नहीं आया है कि मृतक तथाकथित घटना के बाद अस्पताल कैसे पहुँचा. अतः मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए इसी आधार पर दावा आवेदन को सव्यय खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट की ओर से की गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger of the Train in question at the time of occurrence of the alleged untoward incident ?*

2) *Whether the death of deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

4. आवेदकों की ओर से कमांक–1 ने साक्षी के तौर पर स्वयं के शपथपत्र *(AW/1)* के साथ मृतक के कथित टिकट खरीदने के साक्षी के तौर पर उसके जीजा को भी शपथपत्र *(AW/2)* के साथ उपस्थित कराया है एवं लिखित लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-12* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से जॉच करने वाले अधिकारी श्री कमलेश्वर प्रसाद, एसआई/आरपीएफ, राजनांदगांव को भी शपथपत्र *(RW/1)* के साथ उपस्थित कराया है. तीनों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

5. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बडे ध्यान से सुन कर और अभिवचनों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

निरंतर.....3/पर

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज क्रमांक–1, 2 एवं 3 :

6. विवरण में तारतम्यता स्थापित करने हेतु इन तीनों ही इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. रेस्पांडेन्ट ने *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, के आधार पर घटना एवं दावे का का पूरजोर विरोध करते हुए कहा है कि रेलवे रेकार्ड में ऐसी किसी घटना का कोई इन्द्राज नहीं है, जेडी पैसेन्जर के लोको पायलट एवं गार्ड के बयानों के अनुसार उनकी गाड़ी से घटनास्थल पर कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, इस गाड़ी के समय एवं घटनास्थल पर कार्यरत् ट्रेकमेन एवं अन्य स्वतन्त्र साक्षियों के अनुसार वहॉ पर कोई घटना घटित नहीं हुई थी, मृतक के पास यात्रा का कोई टिकट नहीं मिला है एवं सबसे महत्वपूर्ण यह तथ्य कि विवेचित यात्री गाड़ी–जेडी पैसेन्जर संख्या–08861 के तत्समय कार्यरत् लोको पायलट के कथन (आर–16) के अनुसार उनकी गाड़ी गोंदिया से समय 05–31 बजे चलकर समय 07–36 बजे बाकल स्टेशन पहुॅचकर समय 07–37 बजे आगे के लिए रवाना हुई एवं समय 07–46 पर राजनांदगांव पहुॅची थी, घटनास्थल राजनांदगांव से 2 मिनट पहले स्थित है, जबकि मृतक अस्पताल में 07–50 बजे भर्ती हो गया था, अतः 5–6 मिनट में उसे घटनास्थल से उठाकर अस्पताल में कैसे व कौन ले गया, यह किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है. 5 मिनट में रेलवे ट्रेक से घायल होने पर कोई भी अस्पताल में नहीं पहुॅच सकता, इसलिए परिस्थितिजन्य हालातों एवं दस्तावेजों से घटना का कोई अन्य कारण है, जिसे मुआवजा प्राप्त करने के लिए रेल दुर्घटना निरूपित किया गया है.

7. मेरे द्वारा परिस्थितिजन्य हालातों तथा उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों एवं पक्षों के दोनों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश किये गये तर्क–प्रतितर्को का गहनता से परिशीलन किया गया. प्रकरण में साक्षी जयदेव (AW/1) जो कि मृतक के पिता हैं, ने अपने शपथपत्र पर प्रस्तुत कथनों में कहा है कि दिनांक 25–11–2021 को उनका मृतक पुत्र गोंदिया से राजनांदगांव की यात्रा गोंदिया–झारसुगड़ा जेडी पैसेन्जर से कर रहा था तथा यात्रा के दौरान बाकल एवं राजनांदगांव रेलवे स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन से गिर जाने से आई चोटों से उसकी मृत्यु हो गई. अपने कथनों के समर्थन में मृतक की मृत्यु के समय दर्ज मर्ग इंटीमेशन, नक्शा–पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ए–1 से लेकर ए–4) तक की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की हैं.

8. प्रति–परीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि उसे फोन से सूचना मिलने पर घर से 10 बजे निकलकर 10–15 बजे वह अस्पताल पहुॅच गया था और पहुॅचने के बाद पुत्र मृत हो गया था, उसने यह भी कहा है कि मृतक पुत्र को घटनास्थल से अस्पताल कौन ले गया था, उसे मालूम नहीं. गवाही एवं प्रति–परीक्षण के दौरान इस साक्षी के कथनों से स्पष्ट है कि इसने मृतक को न तो ट्रेन से यात्रा करते हुए देखा एवं न ही गिरते देखा था. इस साक्षी ने मृतक को उसके जीजा द्वारा टिकट लेकर ट्रेन में बैठाना बताया है. तानसेन पराते (AW/2) जिसके द्वारा मृतक को गोंदिया में ट्रेन में टिकट लेकर बैठाने के बारे में कथन दिये हैं. अर्थात् दोनों ही

निरंतर.....4/पर

साक्षियों के कथनों से यह तो स्पष्ट है कि मृतक दिनांक 25–11–2021 को गोंदिया से राजनांदगांव तक की यात्रा टिकट लेकर जेडी एक्सप्रेस से कर रहा था, लेकिन मृतक के ट्रेन से गिरकर मृत्यु होने का जहाँ तक सवाल है, इस सम्बन्ध में मर्ग इंटीमेशन (ए–1) में मृतक के ट्रेन से गिरने के बारे में उल्लेख है, लेकिन मर्ग दिनांक 25–11–2021 के शाम 17–45 बजे कायम की गई है, जो कि आरक्षक–पुरूषोत्तम द्वारा दर्ज कराई गई है जिसमें घटनास्थल जिला शासकीय मेडिकल कॉलेज, पेण्ड्री लिखा हुआ है. इसी प्रकार ट्रेन से गिरने का हवाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दर्ज है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक को कई जगह से शरीर पर घिसावट एवं छिलने की चोटें थीं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक की मृत्यु आत्महत्या की प्रकृति की नहीं थी.

9. रेस्पांडेन्ट रेलवे की ओर से साक्षी–कमलेश्वर प्रसाद (RW/1) ने डीआरएम रिपोर्ट के साथ संलग्न जॉच रिपोर्ट (R-3 to R-6) तैयार करलना बताया है तथा आर–4 से आर–17 तक के कथन अंकित करना बताते हुए कहा है कि पंचों की राय के आधार पर मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिरने के कारण आना बताया है, वहीं प्रदर्श–आर/4 जो कि जयदेव (आवेदक कमांक–1) का कथन लिया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जब वह अस्पताल पहुँचा था तो मृतक मुकेश जिन्दा था और उसने बताया था कि वह ट्रेन से गिर गया. हालांकि, रेस्पांडेन्ट के साक्षी–के.प्रसाद ने भी जांच के दौरान दावाकर्ता व मृतक के जीजा के अलावा स्टेशन मास्टर,उप स्टेशन प्रबंधक, चाबीदार व अन्य के कथन लिये जाना बताया है. स्टेशन मैनेजर–रिशीकांत, लक्ष्मीनारायण, तुलसीदास, कमलेशकुमार, अजयकुमार, खेमलाल, सतीश यादव, सुखदेव, विनोद, राजेन्द्रकुमार, जो कि रेलवे से सम्बन्धित गवाह हैं, ने रेल से किसी प्रकार की दुर्घटना होने या न होने से कोई खबर न होना बताया है. किन्तु नक्शा–पंचायतनामा (ए–3) के पिछले पृष्ठ का गहनता से अवलोकन किया जाए तो इसमें साफ तौर पर रामनगर बजरंग मंदिर के पास ट्रेन से गिकर घायल अवस्था में 112 द्वारा उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज, पेण्ड्री में भर्ती किया. डॉ0 को अपना नाम–पता बताया तथा ट्रेन से डाउन लाईन पर गिरना बताया है, का अंकन है. मृतक के ट्रेन से गिरने से घायल अवस्था में उसकी जान बचाने के उद्देश्य से बिना रेलवे को सूचना दिये, यदि उसे उपचार के लिए ले जाया जाता है, तो यह नहीं माना जा सकता कि घटना ट्रेन से गिरने की हुई ही नहीं. रेस्पांडेन्ट यदि चाहता तो वह 112 के साथ–साथ दिनांक 25–11–2021 को मृतक के घायल अवस्था में भर्ती होने के समय के सम्बन्धित डॉक्टर तक अवश्य ही पहुँचता और उनके भी बयान दर्ज कराता. किन्तु रेलवे ने अपनी जॉच रिपोर्ट में केवल स्टेशन, गाड़ी के स्टॉफ आदि को सूचना न मिलने के आधार पर ही अपनी जांच को बहुत ही संकीर्ण रख दिया है, जिसे विधि की दृष्टि से न्यायोचित नहीं माना जा सकता. अतः इस सम्बन्ध में रेस्पांडेन्ट द्वारा दी गई दलीलें विधि–सम्मत न होने से खारिज की जाती है, और यह माना जाता है कि मृतक घटना के समय **माननीय सुप्रीमकोर्ट के *भारत संघ वि0 रीना देवी प्रकरण***

CIVIL APPEAL NO. 4945 OF 2018 (SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO.10223 @ D.NO.6059

निरंतर.....5/पर

S.D

OF 2018; decided on 09th May, 2018) **के पैरा क्रमांक–17.1** के अन्तर्गत **साक्षी–AW/2 की** गवाही के आधार मृतक बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर उस टिकट के आधार पर यात्रा कर रहा था जो कि दुर्घटना के कारण गुम हो गया अथवा प्राप्त नहीं किया जा सका, वहीं दूसरी ओर बुनियादी दस्तावेजी साक्ष्यों व उपस्थित मौखिक साक्षियों की गवाहियों के आधार पर यह साबित होता है कि घटना मृतक के यात्रा करते समय घटनास्थल पर अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन नीचे गिरने से आई चोटों से ही हुई है जो कि की *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* में वर्णित बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना थी. इसलिए इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु रेस्पांडेन्ट बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज क्रमांक–1, 2 एवं 3 साबित होने से आवेदकों के ही पक्ष में इनका विनिश्चय किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–4 एवं 5 :

10. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन दोनों इश्यूज पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पुत्र के अविवाहित होने से माता–पिता के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है व अपने–आप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों की ओर से बुनियादी दस्तावेजों के अलावा मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, आधारकार्ड व मार्कलिस्ट, आवेदकों के आधारकार्ड तथा बैंक खाता पासबुक एवं रॉशनकार्ड *(A-5 to 12)* आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं. आवेदक क्रमांक–2 अर्थात् मृतक की माता ने सशपथ कथन किया है कि दस्तावेज क्रमांक–ए/7 जो कि मृतक की हाईस्कूल की मार्कलिस्ट है, में मृतक की माता के तौर पर शीला नाम अंकित है जो कि उसका विवाह के पहले का नाम था, जो अंकित हो गया है, विवाह के पश्चात् उसका नाम शीला से परिवर्तित होकर श्रीमती ललिता बारापात्रे हो गया है. साक्षी के तौर पर कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होने पर आवेदक ने मृतक के अविवाहित होने का कथन किया है. अतः दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर मृतक के अविवाहित होने से दोनों आवेदक माता–पिता के तौर पर *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन– 123 (B) (i)* के अधीन आश्रित मान्य किये जाते हैं.

11. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

12. माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *25-11-2021* से भुगतान तिथि तक की अवधि तक *09%* प्रतिवर्ष साधारण ब्याज भी संदेय होगा. अतः निर्धारित आश्रित ब्याज सहित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

13. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *8,00,000/-* में से आश्रित के तौर पर आवेदकों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relation ship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं संदेय आनु पातिक ब्याज)	As Fixed Depo sit/ Annuity (Rs.) (एवं संदेय आनु पातिक ब्याज)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1)	जयदेव बारापात्रे	पिता	63	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-
2)	श्रीमती ललिता बारापात्रे	माता	58	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-

14. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक *25-11-2021* से भुगतान तिथि तक की अवधि तक *09%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा.

15. उक्त तालिका के कॉलम संख्या–6 की राशि एवं प्रतिकर राशि पर समस्त देय ब्याज को सम्बन्धित लाभार्थी/लाभार्थियों के सीधे खाते में स्थानांतरित की जाएगी एवं कॉलम–7 में दर्शाई गई शेष राशि को दोनों लाभार्थियों के लिए रूपये 6,000/- प्रति माह के हिसाब से एक माह से 60 माह की अवधि के लिए आरोही कम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

16. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

17. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610. dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

18. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी.

19. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

20. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

शेष.....7/पर

21. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

22. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

23. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

24. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

25. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

26. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर). बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

27. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

28. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा.

29. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

30. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

(कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 09th July, 2024 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

(कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)